न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—19 / 2017 / 225 (2017 / 00019)

1. भूरा पुत्र स्व0 काना उर्फ कल्याण, जाति कुम्हार,
2. मदन पुत्र स्व0 श्री काना उर्फ कल्याण, जाति कुम्हार,
3. रतन पुत्र स्व0 श्री मेवा, जाति कुम्हार,
4. भैरू पुत्र स्व0 श्री जेठू, जाति कुम्हार,

समस्त निवासीगण ग्राम गागुन्दा, तह0 अराई, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. हरकरण पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र, जाति कुम्हार,
2. गणेश पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र, जाति कुम्हार,
3. सत्यनारायण पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र, जाति कुम्हार,
4. नोरती पुत्री स्व0 श्री रामचन्द्र, जाति कुम्हार,
5. छोटी देवी पुत्री स्व0 श्री रामचन्द्र, जाति कुम्हार,

समस्त निवासी ग्राम गागुन्दा, तह0 अराई, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

6. भारमल पुत्र स्व0 सुवा, जाति जाट,
7. रूपा पुत्र स्व0 सुवा, जाति जाट,
8. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ ।
9.

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़, दिनांक 20.4.2015 अंतर्गत प्रकरण संख्या 191 / 2013 .

उपस्थितः—

1. श्री बुद्धराज प्रजापत, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—13.12.2018

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय दिनांक 20.4. 2015 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजत0काश्त0अधि0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण केदादा बालू पुत्र काना, जाति कुम्हार के नाम ग्राम माला की खसरा संख्या 902

रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 903 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा नंबर 913 मिन रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 25 बघा 4 बिस्वा भूमि स्थित थी, जिसके एकीकरण खसरा संख्या 422 रकबा 25 बीघा 4 बिस्वा एवं वर्तमान खसरा संख्या 610रकबा 25 बीघा 4 बिस्वा कायम हुए है । प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5/प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में आगे कथन किया कि बालू की मृत्यु उपरांत उपरोक्त भूमि को अपीलांटस के पूर्वजों ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर गलत रूप से नामांतकरण दर्ज करवा लिया । बालू पुत्र काना के एकमात्र पुत्र रामचन्द्र था तथा बालू पुत्र काना से अपीलांटस का कोई लेना–देना नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनाक 20.4.2015 द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांटस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के अनुपस्थित रहने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान वकील अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांटस विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा में अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । प्रार्थीगण/रेस्पो0 का अधी0न्याया0 के समक्ष यह कथन कि विवादित भूमि मूलतः बालू पुत्र काना के अधिकार, मिल्कियत की थी किन्तु इस संबंध में रेस्पो0 ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व जमाबंदी पेश नहीं किये है जिससे यह साबित हो विवादित आराजियात बालू पुत्र काना की खातेदारी की आराजियात हो । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि बिलानाम थी जिसमें बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ रामचन्द्र, कल्ला, मेवा, श्रवण, भैरू पुत्र बालू का नाम 1/5 हिस्से पर दर्ज किया गया । अपीलांट संख्या 1 व 2 के पिता का नाम काना उर्फ कल्याण थे जिनके पिता का नाम नाथॅ था एवं अपीलांटस रतन के पिता नाम मेवा एवं मेवा के पिता का जेठू था । भैरू के पिता का नाम जेठू था तथा बालू, नाथू एवं जेठू सगे भाई होकर काना की संतान थे जिसमें बालू सबसे बड़ा भाई था । इस कारण राजस्व रिकार्ड में सहवन से सवंत् 2019 में गलत इंद्राज हो गया था जिसके संशोधन का वाद अपीलांटस द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने दिनांक 13.2.2014 को आदेशिका में पुनश्चय करके अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लिये जाने के आदेश पारित किये है। अपीलांटस विवादित आराजी के खातेदार है जिन्हें सुना जाना आवश्यक था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय खारिज किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल लाई जाकर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया जिससे अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांटस को नहीं हो सकी थी । अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर अपीलांटस ने एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु अधी0न्याया0 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जो दिनांक 25.4.2016 को खारिज किया गया किन्तु अपीलांटस के अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में अपीलांटस को

कोई सूचना नहीं दी गई तत्पश्चात् अपने अधिवक्ता से संपर्क करने पर अधिवक्ता ने दिनांक 20.1.2017 को अपीलाधीन आदेश की नकले प्रदान की जिस पर अपीलांटस ने कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपील में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । वैसे भी मियाद के बिन्दू पर किसी भी प्रकरण का अंतिम विनिश्चन नहीं हो सकता है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7. प्ररकण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने दिनांक 13.2.2014 को अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लिये जाने के आदेश पारित कर दिनांक 20.4.2015 को एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांटस को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 141 जा0दी0 का प्रस्तुत किया था जिसमें यह कथन किया कि वाद वर्णित भूमि का राजस्व वाद जिसमें आगामी पेशी दिनांक 29.10.2015 को नियत होने की जानकारी दिनांक 24.9.2015 को पुलिस थाना अराई के कार्मिकों द्वारा विवादित भूमि पर फसल काटते समय अस्थायी निषेधाज्ञा होने की जानकारी होने पर ज्ञात हुआ कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 20.4...2015 को एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश जारी हुए है। अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 12.6.2013 को प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये जिसकी पालना में दिनांक 27.6.2013 को अप्रार्थीगण/अपीलांटस को नोटिस जारी किये गये । उक्त नोटिस की पुस्त पर नौरत नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर है तथा भाई लिखा हुआ है । तामील कुनिन्दा ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि आसामी नहीं मिलने पर नोटिस भाई ने लिया । अतः तामीलशुदा श्रीमान् की सेवा में मौजूद है । अधी0न्याया0 ने तामील कुनिन्दा की उक्त रिपोर्ट को प्रोपर तामील मानकर अपीलांटस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये है जबकि भाई की तामील को प्रोपर तामील नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 को चाहिये था कि अपीलांटस/अप्रार्थीगण को प्रोपर तामील करवाते यदि प्रोपर तामील होने के उपरांत भी अपीलांटस/अप्रार्थीगण अधी0न्याया0 में उपस्थित नहीं होते तो ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अधी0न्याया0 को आदेश पारित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को बिना प्रोपर तामील कराये एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 20.4.2015 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ का निर्णय दिनांक 20.4.2015 अपास्त

किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 13.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर